

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी  
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)



प्रशासन अनुभाग

सं. मानू/प्रशासन//मि.120/2021-22/1172

दिनांक-27 जुलाई, 2021

अधिसूचना

**विषय:** मानू-प्रशासन-संशोधित दरों पर पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में।

- संदर्भ:** 1. कार्यालय ज्ञापन सं.42/07/2021-पी एवं पीडब्ल्यू (डी) के दिनांक.22.07.2021 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली-110003।  
2. दिनांक 27.07.2021 को प्रभारी कुलपति द्वारा अनुमोदित।

\*\*\*

उद्धृत पत्र के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत को सातवें वेतन आयोग के अनुसार 17% की मौजूदा दर से 28% की बढ़ी हुई दर पर तत्काल प्रभाव से 01 जुलाई, 2021 से अंगीकार किया है, जो कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में उद्धृत है।

#आदेशानुसार#

*S. S. S.*  
27-7-21  
प्रभारी कुलसचिव

सेवा में

वित्त अधिकारी(संदर्भ के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)

प्रति :

1. कुलपति/ कुलसचिव/वित्त अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय
2. निदेशक डीडीई/ परीक्षा नियंत्रक
3. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
4. उर्दू अनुवाद हेतु उर्दू अधिकारी/ हिन्दी अनुवाद हेतु हिन्दी अधिकारी
5. संबंधित मिसिल